

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—:आदेश:—

क्रमांक:320/दो-11-16/18

नर्मदापुरम, दिनांक 17.03.2026

श्री राजकुमार मौर्य, पंजीयन लिपिक एस.ए. कम्प्यूटर अनुभाग, इटारसी का दिनांक 23.03.2026 से 26.03.2026 तक कुल 04 दिवस का अर्जित अवकाश, पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित, दिनांक 19.03.2026 से 28.03.2026 के कार्यालय समय पूर्व तक, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में कुल 296 दिवस का स्वत्व शेष है।

- 1— उपरोक्त अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहा।
- 2— अवकाश अवधि मूलभूत नियम 26 (बी)(दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ0क0¹²⁷³/दो-11-16/18

नर्मदापुरम, दिनांक 17.03.2026

यथाआदेश प्रतिलिपि:—

- 01 प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, इटारसी की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
- 02 प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, इटारसी की ओर सूचनार्थ एवं श्री राजकुमार मौर्य, पंजीयन लिपिक एस.ए. को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
03. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम,(म.प्र.)